COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. 7 / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2018 / 0280

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आज दि. 09/01/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. निपुण गर्ग पुत्र महेन्द्र गर्ग
2. श्रीमती कमलेश पत्नी स्व. श्री महेन्द्र गर्ग

निवासी–आई.टी.व्ही.पी. गेट के सामने शिवपुरी म.प्र. ......आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी म.प्र. के प्र.क्र. 217 / 2017–18 / अ–02 से असंतुष्ट होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदन की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य –

राजेन्द्र सिंह चौहान 09/01/18

शारदा प्रभारी (रा.मं.) कार्या. म. महाधिवक्ता, ग्वालियर 9.1.18

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 105 / 2 / 5 का प्रकरण क्र. 138 / 2017-18 / अ–2 आदेश दिनांक 13.11.2017 द्वारा भूमि भाग 67797.5 वर्गफुट एवं प्रकरण क्र. 139 / 2017–18 / अ–2 आदेश दिनांक 13.11.2017 द्वारा भूमि भाग 36247 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा व्यपवर्तन (डायवर्सन) कराये जाने हेतु विधिवत धारा 172 (1) के तहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 13.11.2017 द्वारा व्यपवर्तन की राशि जमा करा दी गई है।
2. यहकि, न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 52 / 2017–18 बी 121 के प्रतिवेदन दिनांक 24.11.2017 द्वारा एक मिथ्या झूठी शिकायत के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक राजेन्द्र दुबे द्वारा ग्राम राजपुरा की भूमि सर्वे नं. 105 / 2 / 5 रकबा 1.672हैक्टेयर भूमि में से आवेदक क्र. 1 निपुण गर्ग पुत्र महेन्द्र गर्ग हिस्सा 417 / 1672 एवं श्रीमती कमलेश गर्ग पत्नी महेन्द्र गर्ग हिस्सा 628 / 1672 पर बगैर व्यपवर्तन (डायवर्सन) के कॉलोनी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2018/0280

निपुण गर्ग आदि विरूध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-217/2017-18/अ-02 में पारित आदेश दिनांक 29/12/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	